बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 415816

ग्रा0वि07(विविध)- 25/2018

पटना, दिनांक 08/03/19

प्रेषक,

सी0पी0 खण्डूजा,

आयुक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार, पटना ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत जिला परिषद् तथा पंचायत समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 360686 दिनांक 16.03.2018 तथा पत्रांक 395583 दिनांक 01.11.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र द्वारा मनरेगा अंतर्गत जिला परिषद् तथा पंचायत समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश निर्गत किये गये है । इस क्रम में जिलों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही है:-

1. मनरेगा अंतर्गत जिला परिषद् / पंचायत समिति की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अभिकर्ता के रूप में पंचायत रोजगार सेवक को नामित करने का अनुरोध किया गया है।
2. जिला परिषद् तथा पंचायत समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में योजनाओं के तकनीकी पर्यवेक्षण,
3. जिला परिषद् सतर से क्रियान्वित होने वाली योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में मार्ग निदेश निम्न प्रकार है:-

बिन्दु-1 के संदर्भ में पंचायत रोजगार सेवक के पास पंचायत स्तर पर मनरेगा कार्यान्वयन से संबंधित अत्यधिक कार्यो के निष्पादन एवं अभिलेख संधारण की जिम्मेवारी होने के कारण ही जिला परिषद्/पंचायत समिति के कार्यो से अलग रखा गया है। इसलिये विभागीय पत्रांक 360686 दिनांक 16.03.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश में कोई संसोधन नही किया जा रहा है ।

बिन्दु- 2 के संबंध में जिला पदाधिकारी पटना से प्राप्त पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि जिला परिषद्/पंचायत समिति में कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की कमी के कारण जिला परिषद्/पंचायत समिति के माध्यम से कार्य करने में कठिनाई हो रही है। इसके आलोक में जिन जिला परिषद्/पंचायत समिति में तकनिकी पदधिकारी की कमी हो उनके मामले में जिला में पदस्थापित किसी भी विभाग के तकनिकी पदाधिकारी को जिला परिषद्/पंचायत समिति अंतर्गत मनरेगा कार्यान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नामित किया जा सकता है।

बिन्दु-3 के संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या- 9888 दिनांक 25.08.2010 द्वारा मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रत्यायोजन शक्ति के संबंध में स्पष्ट किया गया है (सुलभ प्रसंग हेतु प्रति संलग्न) ।

अत: अपने स्तर से जिला परिषद्/पंचायत समिति के माध्यम से मनरेगा कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कारवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

07-03-19.

(सी0पी0 खण्डूजा)

आयुक्त, मनरेगा।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संख्या-ग्रा0वि08(विविध)-33/2005 पार्ट 9888
दिनांक 25/8/10

संकल्प

विषयः- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्ति प्रत्यायोजन के संबंध में ।

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभागीय निर्गत दिशा-निदेश /अनुदेश के अधीन जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यान्वित कराये जा रहे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं से संबंधित प्राक्कलन पर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-2005 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के दिशा-निर्देश (सितम्बर 2006) की कंडिका-9.2 के प्रावधान एवं विभागीय पत्रांक- ग्रा0वि08(विविध)-33/2005-12686 दिनांक 15.11.2006 एवं पत्रांक-3044 दिनांक 13.03.08 द्वारा प्रत्यायोजित की गयी थी ।

2. योजनागत सामग्रियों एवं श्रम घटकों की दरों में उतरोतर पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसके कारण योजनाओं को प्रशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृति हेतु सक्षम उच्च स्तर पर भेजने में समय की बर्वादी होती है । कार्यहित में बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-2005 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के दिशा-निर्देश (सितम्बर 2006) की कंडिका-9.2 के प्रावधान "एक लाख रूपये तक की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति देने हेतु स्वयं सक्षम होगा एक लाख से अधिक की योजनाओं के लिए राज्य में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी" को "पाँच लाख रूपये तक की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति देने हेतु स्वयं सक्षम होगा । तकनीकी स्वीकृति हेतु पंचातय द्वारा किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत अथवा सेवानिवृत सरकारी कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता की सेवा प्राप्त की जा सकती है । पाँच लाख से अधिक की योजनाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकार से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी" से प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है ।

3. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पाँच लाख से अधिक की योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा की कमी के कारण भी प्रखंड स्तर एवं जिला स्तर की योजनाओं को प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम

उच्च स्तर पर भेजने में समय की बर्वादी होती है । बड़े योजनाओं को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत लेने से दिखने वाली उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण होगा तथा जिला स्तर पर अन्य कार्य विभागों के साथ /द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्य त्वरित गति से सुलभ होगा । आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए तथा योजनागत सामग्रियों एवं श्रम घटकों की दरों में उतरोत्तर पर्याप्त वृद्धि के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति हेतु पूर्व से प्रदत सक्षमता में वृद्धि कर अब निम्नरूपेण निम्नांकित क्षेत्रीय पदाधिकारियों/बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के पदाधिकारियों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारियों को उनके पदनाम के विरूद्ध उल्लिखित राशि की सीमा के अधीन प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु वितीय शक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की गयी है ।

<u>प्रशासनिक/ तकनीकी स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति</u>

क्र0	पदाधिकारी का नाम	शक्ति का स्वरूप	राशि सीमा
1	प्रधान सचिव/सचिव	प्रशासनिक	तीस करोड़ रू0 से अधिक
2	प्रमंडलीय आयुक्त	प्रशासनिक	तीस करोड़ रू0 तक
3	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू0 तक
4	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रू0 तक
5	कार्यक्रम पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख रू0 तक
6	मुख्य अभियंता	तकनीकी	असीमित ।
7	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू0 तक
8	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू0 तक
9	सहायक अभियंता	तकनीकी	दस लाख रू0 तक

4. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चालू सभी योजनाओं की मापी के लिए सरकार अथवा बिहार रूरल डवलपमेंट सोसाईटी/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अन्तर्गत कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता सक्षम होंगे, लेकिन योजनाओं की अंतिम मापी एवं अंतिम विपत्र उसी स्तर के कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा पारित किया जायेगा जो संबंधित योजना के तकनीकी स्वीकृति हेतु निर्धारित सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकार के अन्यून हो ।

(279)

5. उपर्युक्त शक्ति-प्रत्योजन आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

25/8/10

(ए0 संतोष मैथ्यू)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9888 पटना, दिनांक 25/8/10

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/8/10
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9888 पटना, दिनांक 25/8/10

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 300 प्रतियाँ उपलब्ध करा दी जाय ।

25/8/10
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9888 पटना, दिनांक 25/8/10

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता एवं सभी सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/8/10
प्रधान सचिव